भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 632
गुरूवार, 02 दिसम्बर, 2021/11 अग्रहायण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को पुनः शुरू करने के लिए उपाय

632. श्री के.सी. वेणुगोपालः
श्री सुशील कुमार गुप्ताः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण विदेशी और घरेलू पर्यटन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हाँ, तो देश में विदेशी और घरेलू पर्यटन को पुनः शुरू करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या कोरोना मामलों में गिरावट आने के पश्चात सरकार ने विदेशी पर्यटकों को वापस लाने के लिए कोई योजना बनाई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संकटग्रस्त आतिथ्य क्षेत्र को घोषित और संवितरित किए गए राहत पैकेजों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2019, 2020 के दौरान आये घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	घरेलू पर्यटक आगमन (मिलियन में)
2019	2321.98
2020	610.21

स्त्रोत: राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन (मिलियन में)
2019	31.41
2020	7.17

स्त्रोत: राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनसे विदेशी पर्यटकों की वापसी सहित देश में पर्यटन की बहाली अपेक्षित है, इनका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उबरने के लिए भारतीय होटल क्षेत्र की सहायता हेतु विभिन्न वित्तीय और नियामक राहत उपायों की घोषणा की है। जिसका विवरण **अनुबंध** II में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

पर्यटन को पुनः शुरू करने के लिए उपाय के सम्बन्ध में दिनांक 02.12.2021 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 632 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में **विवरण**

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनसे पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की उम्मीद है :

कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र (एलजीएससीएटीएसएस) के लिए ऋण गारंटी योजना

पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 को घोषणा के अनुसरण में, पर्यटन मंत्रालय ने "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र **(एलजीएससीएटीएसएस)** के लिए ऋण गारंटी योजना" लागू की है। इस ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों के लिए 10.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे।

पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि उनकी देनदारियों का निर्वहन किया जा सके और कोविड -19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू किया जा सके।

उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक अथवा योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये जारी किए जाने की गारंटी, जो भी पहले हो, तक है और 04.10.2021 को या उसके बाद योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर 31.03.2022 तक लागू होगी [राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा एलजीएससीएटीएसएस जारी दिशानिर्देश]। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा धन उधार देने वाले संस्थानों (एमएलआई) से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास योजना (एमडीए) :

पर्यटन मंत्रालय ने योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए नवंबर 2020 में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है। अब राज्य सरकारों/संघ शासितक्षेत्रों के प्रशासन के पर्यटन विभाग भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस):

आरसीएस उड़ान-3 पर्यटन के तहत, पर्यटन मंत्रालय ने कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संपर्क किया और प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन

स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 46 पर्यटन मार्गों को शामिल किया। वर्तमान में 29 पर्यटन मार्गों संचालित किए गए हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन मार्गों को शामिल करने और हवाई संपर्क में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही आरसीएस उड़ान-4 के तहत 78 मार्गों को अंतिम रूप दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में और उसके भीतर हवाई संपर्क बढ़ाना है।

सड़क संपर्क और मार्गस्थ सुविधाएं:

पर्यटन मंत्रालय ने पहले चरण में सड़क संपर्क में सुधार के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ प्रतिष्ठित स्थलों और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 पर्यटन स्थलों की सूची साझा की थी। जहां अच्छे सड़क संपर्क पहले से मौजूद है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि वह 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पर्यटन स्थल के दोनों ओर मार्गस्थ सुविधाएं, विशिष्ठ संकेतक और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विचार करें। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सूचित किया है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहचाने गए 50 गंतव्यों में से 23 मार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दायरे में आते हैं, जहां काम प्रगति पर है।

शेष 27 पर्यटक स्थलों के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों और पीडब्ल्यूडी को कनेक्टिविटी में सुधार और वेसाइड सुविधाओं के प्रावधान के लिए पत्र संबोधित किया है क्योंकि यह मार्ग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दायरे में नहीं आते हैं।

24 और 25 नवंबर, 2020 को राज्य/संघ शासित प्रदेश के पर्यटन विभागों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गईं, ताकि उन पर्यटन स्थलों पर उनके इनपुट और सुझाव प्राप्त किए जा सकें, जहां सड़क संपर्क और सड़क के किनारे की सुविधाओं की आवश्यकता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 114 गंतव्यों की एक सूची तैयार की गई है और इन पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझा की गई है।

इसके अलावा, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के संबंध में नवंबर, 2021 के महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई है।

अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन कार्यक्रम :

पर्यटन मंत्रालय ने **अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणन** (आईआईटीएफ) **कार्यक्रम** - एक डिजिटल पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर **पर्यटक सुविधाप्रदाताओं** का एक पूल बनाने के लक्ष्य से एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए बुनियादी, उन्नत (विरासत और साहसिक), बोली जाने वाली भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है। उम्मीदवार इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को कहीं से भी और किसी भी समय और अपनी गति से कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के सफल समापन पर, वह एक पेशेवर रूप से प्रमाणित पर्यटक **सुविधाप्रदाता** होगा, जो पर्यटकों को जानकारी का प्रसार करके, देश के बारे में उनमें रुचि पैदा करके और अनुभवात्मक पर्यटन प्रदान करके उनकी सहायता करेगा। यह कार्यक्रम 01.01.2020 से ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है।

यह डिजिटल पहल रोजगार सृजन में मदद करेगी और देश भर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। इस योजना से देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं और गुणवत्ता के अनुभव को बढ़ाकर पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी ।

पहली बार अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाप्रदाता बेसिक कोर्स ऑनलाइन परीक्षा फरवरी, 2021 में आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम मार्च, 2021 में घोषित किए गए जिसमें 2230 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। आईआईटीएफ की दूसरी बेसिक कोर्स परीक्षा 03 और 04 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें 1370 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिनमें से 841 को सफल घोषित किया गया था।

****

अनुबंध -II

पर्यटन को पुनः शुरू करने के लिए उपाय के सम्बन्ध में दिनांक 02.12.2021 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 632 के भाग (घ) के उत्तर में विवरण

सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्नलिखित हैं, जिनसे भारतीय होटल उद्योग का पुनरुद्धार होने की आशा की जाती है :

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने का ऋण-स्थगन होगी।
ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम वाले, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।
iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर प्रत्येक के लिए 10% कर दिया गया है।
iv. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।
vi. केंद्र सरकार ने भी व्यापार निरंतरता और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए कोविड - 19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।
vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।
viii. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की। आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है। योजना के तहत जारी गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:-

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) पर्यटन और आतिथ्य योजना के अनुसार 30.09.2021 तक के आंकड़े			
उद्योग की प्रकृति	**इसके तहत सहायता**	**जारी की गई गारंटी की संख्या**	**योजना के तहत स्वीकृत ऋण के मद में जारी गारंटियों की राशि (करोड़ रु में)**

यात्रा और पर्यटन	ईसीएलजीएस 3.0	2,732	1,371.62
आतिथ्य	ईसीएलजीएस 3.0	3,160	5,430.96
होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन	ईसीएलजीएस 2.0	218	3,403.90
पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट	ईसीएलजीएस 1.0	96,219	3559.43
कुल		1,02,329	13,765.91

ix. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

x. 28 जून 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास और रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं।

xi. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

xii. कोविड-19 के पश्चात पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xiii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xv. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणीकरण की वैधता, जिनका परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने वाला है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

xvi. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

****